

23/03/25

117

अधिवक्ता अपीलें 34- अधिवक्ता अपीलें
को रेसमी. संख्या 01 लगायत 03 एवं 05 के सम्मन
एवं रेसमी. संख्या 04 के आयम मुकाम की कार्यवाही
पेश करने बाबत तुरंत अवसर दिये जाने के
बावजूद आज दिनांक पेशी एवं न्यायालय के
आदेशों की पालना नहीं की गई है। अधिवक्ता
अपीलेंट का उक्त कृत्य न्यायालय के आदेशों
की अवहेलना की गयी परिलक्षित होता है।
लिहाना पत्रावली अदम्य तकमील में धारिष की
धाली है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर बाद
आवश्यक कार्यवाही दायित्व दृष्टर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली